

will be taken after the reports of the Committees are received.

बिहार विधान सभा के चुनावों में बड़े पैमाने पर बूथों पर कब्जा करना

4208. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री सूर्यतारायण सिंह

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि गत बिहार विधान सभा के मध्यावधि चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर बूथों पर कब्जा किया गया था,

(ख) किन किन पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने बूथों पर कब्जा किया था और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) क्या यह सच है कि इसके बारे में सूचना मुख्य चुनाव आयुक्त को दी गई थी, और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम रहे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) एक विवरण लोक सभा तारांकित प्रश्न सं० 340 के, जिसका उत्तर 1 जुलाई, 1980 का दिया गया था, उत्तर के साथ मदन के पटल पर रख दिया गया था। इस विवरण में अन्य बातों के साथ बिहार विधान सभा के पिछले मध्यावधि निर्वाचनों के दौरान बूथों पर कब्जा करने की घटनाओं से प्रभावित मतदान केन्द्रों के बारे में जानकारी दी गई थी। इस विवरण से पता चलेगा कि राज्य में मतदान केन्द्रों की कुल संख्या को देखते हुए बूथों पर कब्जा करने की घटनाओं में जो मतदान केन्द्र प्रभावित हुए थे उनकी प्रतिशतता थोड़ी ही थी।

(ख) और (ग) इस निमित्त कुछ शिक्षाधतो को छोड़ कर, निर्वाचन आयोग के पास कोई अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) निर्वाचन आयोग ने शिकायतें अन्वेषण के लिए भेज दी हैं और अन्वेषण अभी पूरा नहीं हुआ है।

दुटियों को रोकने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन

4209. श्री रामावतार शास्त्री : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव प्रणाली में दुटियों को दूर करने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन करने के बारे में सरकार ने निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हा, तो क्या सरकार ने संशोधनों की जांच कर ली है,

(ग) यदि हा, तो उसका व्यौरा क्या है, और

(घ) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कब तक कानून अधिनियमित करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) से (घ) सरकार को अभी निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों के बारे में विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करना है। इन प्रस्तावों के दूरगामी परिणाम होंगे तथा इन प्रस्तावों पर सावधानीपूर्वक गहराई से विचार करने को आवश्यकता है। अतः इस विषय पर सरकार का अपना विचार बनाने से पूर्व हममें कुछ समय लगेगा।

News Collecting Pools for A.I.R. and T.V.

4210. SHRIMATI PRAMILA DAN-DAVATE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the news collecting by A.I.R. and T.V. have separate pools; and

(b) whether there is any coordination in the news broadcasts over T.V. and Radio?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): (a) and (b). Doordarshan does not have a separate news-gathering network of its own, and depends almost entirely on the news services of AIR and the four national news agencies. The News Services Division of AIR prepares a master copy of news, called the 'Pool', which contains material for inclusion in the news bulletins. To a great extent, Doordarshan draws its news items from this 'Pool'. However, the news bulletins telecast from Doordarshan Kendras are compiled and prepared independently by Doordarshan's own Editorial Staff, keeping in view the needs of a visual medium with a localised audience.